सार्वजनिक निविदा सूचना।

नगर निगम देहरादून क्षेत्रान्तर्गत स्थित सार्वजनिक शौचालयों जैसे दिलाराम बाजार, रिस्पना पुल, बिन्दाल पुल एवं राजेन्द्र नगर (ओ०एन०जी०सी० के बाहर) दिनांक 01.07.2018 से 30.06.2020 तक विज्ञापन प्रदर्शित किये जाने हेतु निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 1-7-18...... तक कुल 02 वर्ष हेतु 8 x 8 फिट साईज के विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु दिनांक 15-6-18 को अपरान्ह 2.00 बजे तक सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते निविदा प्रकाशन की की तिथि से दिनांक 14-6-18 तक किसी भी कार्यदिवस में निर्धारित शुल्क जमा कराने के उपरान्त नगर निगम कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। निविदा दिनांक 15-6-18 को सांय 4.00 बजे गठित निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा सम्बन्धी विवरण नगर निगम की वेबसाईट www.nagarnigamdehradun.com पर भी उपलब्ध है।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।
29/5/18

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

पत्रांकः–3511 /भूमि–2018,

दिनांकः–31/5/18

प्रतिलिपिः–

1. सम्पादक दैनिक जागरण उत्तराखण्ड+NCR .... समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त निविदा सूचना का प्रकाशन आगामी अंक में कराते हुए समाचार पत्र की दो प्रतियां निशुल्क इस कार्यालय को प्रेषित करायें एवं बिल भुगतान हेतु प्रेषित करें।
2. सम्पादक द पाईनियर अंग्रेजी उत्तराखण्ड+NCR समाचार पत्र को को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त निविदा सूचना का प्रकाशन आगामी अंक में कराते हुए समाचार पत्र की दो प्रतियां निशुल्क इस कार्यालय को प्रेषित करायें एवं बिल भुगतान हेतु प्रेषित करें।
3. श्री मनीष पन्त आई०टी० को इस निर्देश के साथ कि उक्त निविदा सूचना को नगर निगम देहरादून की वेबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. कार्यालय प्रति।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।

Scanned by CamScanner

निविदा फार्म का मूल्य रू0–5000–जी0एस0टी0–900 कुल–5900/–

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

(का0– 0135–2714074 फैक्स–0135–2651060: ई–मेल–nagarnigam.ddn@gmail.com)

नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत स्थित 04 शौचालय (रिस्पना पुल, बिन्दाल पुल, दिलाराम चौक तथा कौलागढ़ ओ0एन0जी0सी0 के0वी0 के बाहर शौचालय) की दीवार पर 8 X 8 फिट साईज के विज्ञापन प्रदर्शित किये जाने हेतु निविदा प्रपत्र।

1. निविदा दाता का नाम :–..
2. निविदादाता का पता :–..
....
....
3. निविदादाता की विज्ञापन एजेन्सी का नाम :– ....
4. जमानत धनराशि :– रू0 ....(शब्दों में) ....
5. एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 नं0 :– ....
6. बैंक का नाम :–..
7. निविदादाता द्वारा भरी जाने वाली निविदा राशि अंकों में :– रू0 ....

(शब्दों में) ....

निविदादाता दाता के हस्ताक्षर :–..

निविदादाता का नाम :–..

निविदादाता का पूरा पता :– ....

निविदा की शर्ते एवं प्राविधान

1. स्वीकृति दिनांक 01जुलाई 2018 से दिनांक 30.06.2020 तक के लिये मान्य।
2. नगर निगम द्वारा निविदा हेतु न्यूनतम् आरक्षित धनराशि रू0–800000/– निर्धारित है।
3. निविदादाता को निविदा में प्रतिभाग करते समय आयकर क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट, जी0एस0टी0 नं0, पैनकार्ड, फर्म का रजिस्ट्रेशन नं0, आदि प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. विज्ञापन फर्म को स्वीकृत निविदा धनराशि की 2 प्रतिशत धनराशि के स्टॉम्प पेपर पर अनुबन्ध गठित करना अनिवार्य होगा।
5. यातायात एवं जनसुविधा हेतु यदि नगर निगम अथवा जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने पर एजेन्सी को कोई क्षति होती है तो नगर निगम द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी।
6. धरोहर/जमा धनराशि नगर आयुक्त नगर निगम के नाम प्लेज करनी अनिवार्य होगी।
7. निविदादाता द्वारा अपने रेट स्पष्ट रूप से शब्दों एवं अंको में लिखें जायेंगे व कटिंग होने की दशा में अपने हस्ताक्षर करने अनिवार्य होंगे।
8. निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा।
9. निविदादादाता द्वारा निविदा स्वीकृत होने पर निविदा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की कुल धनराशि का 50 प्रतिशत 03 दिन के अन्दर तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि माह दिसम्बर–2018 तक निगम कोष में जमा करानी अनिवार्य होगी। निर्धारित तिथि तक धनराशि जमा न करने की दशा में 18 प्रतिशत का ब्याज पृथक से देय होगा।

Scanned by CamScanner

10. नगर निगम के डिफाल्टर व बकायेदार व उसके सगे सम्बन्धी निविदा में भाग लेने के पात्र नही होंगे।

11. निविदा डाक के माध्यम से निर्धारित तिथि एवं समय तक भेजी जा सकती है।

12. निविदा के साथ रू0 80,000/- की धनराशि की सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 संलग्न करनी अनिवार्य है।

13. शौचालय पर 8 X 8 फिट साईज के ही विज्ञापन लगाये जायेंगे।

14. विज्ञापन इस प्रकार लगाया जाना होगा कि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो फिर भी यदि दुर्घटना होती है तो फर्म इस हेतु उत्तरदायी होगी।

15. विज्ञापन चिन्हित क्षेत्र/लम्बाई में ही लगाये जायेंगे। स्वीकृत स्थलों के अतिरिक्त अन्य पोल क्योस्क नही लगाये जायेंगे।

16. विज्ञापन सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी द्वारा अपने स्वंय के व्यय पर लगाये जायेंगे, नगर निगम द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई धनराशि देय नही होगी।

16. सरकार द्वारा प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे शराब, तम्बाकू सिगरेट आदि के विज्ञापन एवं अश्लील विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रदर्शित नही किये जायेंगे। यदि फर्म द्वारा उक्त का उल्लंघन किया जाता है कि तो रू0 25000/- क्योस्क की दर से प्रति क्योस्क अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।

17. शौचालयों पर लगने वाले विज्ञापनों पर बिजली के कनेक्शन की व्यवस्था एजेन्सी द्वारा स्वंय के व्यय पर ही की जायेगी। निविदादाता द्वारा शौचालय के विज्ञापन पर अलग से अपना मीटर लगाना होगा व विद्युत बिलों का भुगतान भी स्वंय के व्यय पर करना होगा।

18. भविष्य में यातायात एवं सौन्दर्यीकरण की दृष्टि से कोई विज्ञापन हटाने की आवश्यकता होती है तो सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा 24 घन्टें के अन्दर हटाना होगा।

19. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून का निर्णय अन्तिम होगा।

20. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून में निहित होगा। किसी भी वाद के लिये क्षेत्राधिकार जिला देहरादून के जिला न्यायालय/न्यायालयों को होगा।

21. निविदादाता द्वारा दिनांक 30.06.2020 तक विज्ञापन कार्य सुचारू रूप से पूर्ण करने के उपरान्त जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।

22. नगर निगम द्वारा आरक्षित निविदा धनराशि के सापेक्ष कम निविदा धनराशि अंकित करने वाली फर्म/निविदादाता की जमानत के रूप में दी गयी एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 जब्त कर ली जायेगी।

23. सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी को समय-समय पर जारी नगर निगम/जिला प्रशासन के आदेशों का अनुपालन करना होगा।

24. इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल की याचिका सं0-एस0पी0ए0 39 वर्ष 2012 का अनुपालन करना होगा।

25. कतिपय परिस्थितियों वश जब तक पुनः निविदा न हो जाये अथवा स्वीकृति को कार्य करने हेतु अधिकृत करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है। जिसकी दर गत वर्ष की दर से 10 प्रतिशत या उससे अधिक हो सकती है।

Scanned by CamScanner

26. निविदादात द्वारा प्रतिबन्धित स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित नही किये जायेंगे। किसी भी निविदादाता द्वारा अनाधिकृत रूप से विज्ञापन नही लगाया जायेगा। यदि यह ज्ञात होता है कि निविदादाता द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन लगाया गया है तो उसकी निविदा तत्काल समाप्त करते हुए उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा। जहां यह भी संज्ञान में आता है कि निविदादाता के किसी भी सगे सम्बन्धी, उसके ग्रुप के किसी सदस्य द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन किया जाता है तो निविदादाता पर प्रति विज्ञापन रू0–25000/– का अर्थदण्ड लगाया जायेगा व उसको भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।

27. शौचालय के विज्ञापनों पर नगर निगम द्वारा स्वीकृत लिखा जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही एक से अन्तिम तक संख्या लिखा जाना भी अनिवार्य होगा।

28. उपरोक्त शौचालयों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु लगे व्यक्तियों, श्रमिकों अथवा कर्मियों का नियमानुसार ई0पी0एफ0, सेवाकर, बीमा तथा सुरक्षा उपकरणों आदि की व्यवस्था भी फर्म को स्वंय करनी होगी।

29 निविदादाता को अपने आबंटित क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से हुई वॉल पेन्टिंग, बिजली के खम्बों पर लगे क्योस्क व छतों पर लगे विज्ञापन पट्टों को हटाने का दायित्व निविदादाता का स्वंय का होगा। निविदादाता इस सम्बन्ध में अनाधिकृत विज्ञापन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध फौजदारी अथवा सिविल न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतन्त्र होगा। निविदादाता के क्षेत्र में यदि उसके द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन लगा पाया जाता है तो उसकी निविदा निरस्त कर उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल की याचिका सं0–39 वर्ष 2012 का अनुपालन भी करना होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कि कोई भी निविदादाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सिन्डीकेट (Syndicate) या कार्टेल (Cartel) या पूर्व से रजिस्टर्ड ग्रुप बनाकर निविदा की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का प्रयास नही करेगा, यदि ऐसा कोई तथ्य बाद में प्रकाश में आता है तो उसकी निविदा बिना किसी नोटिस के निरस्त की जा सकेगी तथा उसे ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।

30. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन पर स्वीकृति बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दी जायेगी एवं धरोहर के रूप में जमा सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 जब्त कर ली जायेगी।

कर अधीक्षक, भूमि
नगर निगम, देहरादून।

Scanned by CamScanner